रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 1975/चैत्र 12, 1897

No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 1975/CHAITRA 12, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April 1975

G.S.R. 185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Fifth Amendment Rules, 1975.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954—

(i) in rule 3, sub-rule (1), for the brackets, letters, words and figures—

"(b) Selection Grade: Rs. 1800-100-2000—With effect from the first day of March, 1962."

the following shall be substituted, namely:—

"(b) Selection Grade—Rs. 2000—125/2—2250—With effect from the first day of January, 1973.".

(ii) in rule 3, in sub-rule (3)—

(1) for the words, abbreviation and figures, "In the case of an officer drawing pay upto and including Rs. 1800 in the existing scale—" the brackets, letters,

abbreviation, words and figures "(a) In the case of an officer drawing pay upto and including Rs. 1800 in the existing scale—" shall be substituted.

(2) before Explanation I, the following clause shall be inserted, namely:—

"(b) The pay of an officer drawing basic pay exceeding Rs. 1800 in the existing scale shall be fixed at the stage in the revised scale which is equal to his basic pay in the existing scale plus dearness allowance drawn by him at the rates in force on 31st December, 1972, or if there is no such stage, the stage next below such aggregate plus personal pay equal to the difference to be absorbed in future increases in pay. But if the minimum pay of the revised scale is more than the pay admissible under this clause, the pay should be fixed at the minimum of the revised scale."

(iii) in Schedule II to the said Rules, for the words and figures

"Selection Grade 1st year of service—1800, 2nd year of servie—1900, 3rd year of service and over—2000."

the following shall be substituted, namely:—

"Selection Grade 1st year of service	200
Selection Grade 2nd year of service.	2000
Selection Grade 3rd year of service.	2125
Selection Grade 4th year of service	2125
Selection Grade 5th year of service and over.	2250".

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1973, were issued to implement the recommendations made by the Third Central Pay Commission in respect of the pay scales of Class II Class III and Class IV employees. They were given effect to from the 1st January, 1973. Government have since broadly accepted, with some modifications, the recommendations of the Third Central Pay Commission regarding the pay scales in Class I Services/posts and the All-India Services and have decided that, except in respect of revision of pay or scales of pay of posts which have been upgraded to Rs 3,000 (fixed) or above, the date of revision of pay scales in Class I Services/posts and the All-India Services shall be the same as for employees in Class II to Class IV, namely, the 1st January, 1973 The Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, are, therefore, being amended accordingly

(No officer is likely to be adversely affected by this Notification being given retrospective effect)

[No. 28/7/74-AIS(II)]

P. S. VENKATESWARAN, Dy. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल 1975

सा० का० नि० 185(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1975 है।

(2) ये जनवरी, 1973 के प्रथम दिन को प्रवृत्त समझे जाएंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में–

(i) नियम 3 के उप-नियम (1) में,

"(ख) चयन ग्रेड: रु० 1800–100–2000. . . मार्च, 1962 के प्रथम दिन से ।

ब्रेकिट, अक्षर, शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात् :–

"(ख) चयन ग्रेड–

रु० 2000-125/2-2250- . . . जनवरी, 1973 के प्रथम दिन से"

(ii) नियम 3 के उप-नियम (3) में–

(1) "वर्तमान वेतनमान मे 1800 रु० तक और उसके अन्तर्गत वेतन लेने वाले अधिकारी की दशा में"–शब्दों, संक्षेपाक्षर और अंकों, के स्थान पर "(क) वर्तमान वेतनमान में 1800 रु० तक और उसके अन्तर्गत वेतन लेनेवाले अधिकारी की दशा में ब्रेकिट, अक्षर, संक्षेपाक्षर, शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात् :

(2) स्पष्टीकारण 1 के पहले निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाए :–

(ख) वर्तमान वेतनमान में 1800 रुपए से अधिक आधार भूत वेतन वेने वालेअधिकारी का वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में उस क्रम पर जो वर्तमान वेतनमान में उसके आधारभूत वेतन धन 31 दिसम्बर, 1972 पर प्रवत्त दरों पर उसकेद्वारा लिये गए मंहगाई भत्ते के बराबर है, या यदि ऐसा कोई क्रम नहीं है तो ऐसे योग के धन वैयक्तिक वेतन जो भविष्य की वद्धियों में आमेलित किए जाने वाले अन्तर के बराबर है, अगले नीचे क्रम पर नियत किया जायेगा। किन्तु यदि पुनरीक्षित वेतनमान का न्यूनतम वेतन इस खण्ड के अधीन अनुज्ञेय वेतन से अधिक है, तो वेतन पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम पर नियम किया जाएगा,

(iii) उक्त नियमों की अनुसूची 1 में–

"सेवा के प्रथम वर्ष की चयन श्रेणी	1800
सेवा के द्वितीय वर्ष की चयन श्रेणी	1900
सेवा के ततीय वर्ष और उस के बाद की चयन श्रेणी	2000"

शब्दों तथा अंकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात् :

"सेवा के प्रथम वर्ष की चयन श्रेणी	2000
सेवा के द्वितीय वर्ष की चयन श्रेणी	2000
सेवा के तृतीय वर्ष की चयन श्रेणी	2125
सेवा के चतुर्थ वर्ष की चयन श्रेणी	2125
सेवा के पंचम वर्ष और उसके बाद की चयन श्रेणी	2250

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 वर्ग-2, वर्ग–3 और वर्ग-4 कर्मचारियों के वेतनमानों के बारे में तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशो को कार्यान्वित करने के लिये जारी किए गए थे। उनको 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त कराया गया था। तब से सरकार ने वर्ग-1 सेवा / पद और अखिल भारतीय सेवा के वेतनमानों की बाबत तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें, कुछ उपान्तरणों के साथ, मुख्यत: स्वीकार कर ली हैं, और यह विनिश्चित किया है कि वेतन के पुनरीक्षण के बारे में या उन सभी पदों के वेतनमानो के जो 3000 रुपये (नियत) या उपर तक उच्च कोटि के कर दिये हैं सिवाय वर्ग-1 सेवा / पद और अखिल भारतीय सेवा के वेतनमानो के पुनरीक्षण के प्रवृत्त होने की तारीख वही होगी जो वर्ग–2 से 4 के कर्मचारियो के लिये हैं, अर्थात 1 जनवरी 1973। अत: भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 तदनुसार संशोधित किए जा रहे है। (इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के कारण किसी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य नही है।)

[स० 28/7/74-ए० आई० एस० (II)]

पी० एस० वैंकटेश्वरन, उप सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975